THE UNION EXECUTIVE : THE OFFICE OF THE PRESIDENT  
  
भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। सघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है, इसलिए राष्ट्रपति कार्यपालिका के औरवारिक प्रधान है और मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यकारी है। औपचारिक प्रधान होने के कारण हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियों नहीं दी है, यानी उनके पद की संता और गरिमा से युक्त बनाया है। ये राज्य के शक्तिशाली शासक होने की अपेक्षा भारतीय राज्य की एकता के प्रतीक है। उनकी स्थिति वैधानिक अध्यास की है, फिर भी शासन में उनका पद एक धुरी के समान है जो सकट के समय संवैधानिक यन्त्र को सन्तुलित कर सकता है। सही मायने में उनका पद गौरव, गरिमा और प्रतिष्ठा का है। शानशीकत और गौरव की दष्टि से तो राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति है ही। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में भी राष्ट्रपति का प्रतिहित पद एक श्रेष्ठ सामाजिक संस्था और वैधानिक आवश्यकता है। समुचित संवैधानिक प्रावधानों के उपरान्त भी भारतीय राष्ट्रपति का पद, उनके संवैधानिक और राजनीतिक दायित्व और राजनीतिक संस्था के म्य में उनकी मूमिका अभी वाद-विवाद का विषय बना हुआ है। गतिशील कार्यपालिका (Dynamic Executive) डॉ. अम्बेडकर के अनुसार भारत में संसदीय प्रणाली इसलिए अपनायी गयी क्यांकि जहा अष्यक्षात्मक प्रणाली में दैनिक जिम्मेदारी नहीं होती है और केवल सामपिक जिम्मेदारी होती है यहां संसदीय सरकार में दोनों होती हैं। संविधान-निर्मात्री सभा में भी शासन के स्वरूप के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं था। कुछ लोग जमरीका में प्रचलित अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाने के पक्ष में ये तो एक-दो सदम्यों ने स्थिम दांचे की धहत कार्यपालिका का भी समर्थन किया। संविधान सभा में सम्बे वाद विवाद के बाद मन्त्रिमण्डनात्मक शासन प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया गया। इस विवाद में मुख्य तर से दो प्रश्न उठाए गए। प्रथम, लोकतान्त्रिक संवैधानिक ाचे के जनर्गत सवल कार्यपालिका किस प्रकार अपनायी जा सकती है ? द्वितीय, किस प्रकार की कार्यपालिका देश की परिस्थितियों के अनुकूल है? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए के. एम. मुन्शी ने यह अभिमत प्रकट किया कि "शक्तिशाली एवं लोचपूर्ण सरकार ब्रिटेन में विद्यमान है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति मन्त्रिमण्डल में निहित है, जो निम्न सदन के बहुमत पर आधारित है।..इसके साथ ही हमें इस तथ्य को भूनना नहीं चाहिए कि गत वर्षों में भारतीय सार्वजनिक जीवन इंग्लैण्ड की संवैधानिक पिचि की परम्पराओं से संचालित होता रहा है। हममें से अधिकांश ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को सर्वोत्तम माना है और विगत तीस चामीस यर्षों में इस देश के शासन में अंशतः उत्तरदायी सरकार का संचालन धीरे-धीरे प्रारम्भ कर दिया गया था। आज भारतीय अधिराज्य एक पूर्णरूपेण राज्य सरकार के रूप में कार्य कर रहा है। इसने अनुभव के बाद हम परम्परा को तोड़कर नूतन प्रयोग क्यों करें? वस्तुनः भारतीय संविधान का निरालापन इसी बात में है कि संसदीय उत्तरदायित्व के डाये में एक गतिशील कार्यपालिका की व्यवस्था करता है।  
  
  
राष्ट्रपति का निर्वाचन (Election of the President) योग्यता-संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यता निश्चित की गयी है । (1) वह भारत का नागरिक हो (2) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो: .  
  
(3) वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो,  
  
(4) वह संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद कार्य नहीं कर रहा हो। जब तक कोई व्यक्ति शासकीय पद पर आसीन है, वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाद नहीं लड़ सकता। परन्तु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों के लिए त्याग-पत्र देना आवश्यक नही है क्योंकि उनके पदों को लाभ के पद नहीं माना गया है। संविधान में भी यह भी लिखा है कि राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन के और न ही राज्य विधानमण्डल के सदस्य होगे। 5 जून, 1997 को देश के सर्वोच्च पदों के चुनाव के प्रति अगम्भीर प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने के इरादे से एक महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के तहत राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को अब 2,500 रु. की जगह 15,000 रु. की जमानत राशि भरनी होगी तथा उनके नाम के आवेदको नया अनुमोदकों की संख्या 10-10 की तत्कालीन संख्या से बढ़ाकर 50-50 फर दी गई है। कार्यकाल—राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अन्तर्गत ही रिक्त हो जाए, तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः पांच वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए होता है राष्ट्रपति का पद स्थान रिक्त होने की तिथि से किसी दशा में छ: माह पूर्व भग जाना चाहिए। पदावधि के समाप्त होने के उपरान्त भी राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पदारूढ़ होने तक पदासीन रहेंगे। वेतन एवं भत्ता-राष्ट्रपति का पद बहुत सम्मान व गौरव का है। सरकारी भव्य निवास-स्थान के अतिरित उन्हें 1,50,000 रुपए प्रतिमास वेतन तथा वे सभी भते व विशेषाधिकार प्राप्त है, जो समय-समय पर संसद द्वारा निश्चित किए जाएंगे। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते कम नहीं किए जा सकते अवकाश ग्रहण कर लेने के पश्चात् पूर्व राष्ट्रपति को तीन लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती है। राष्ट्रपति काल में और उसके बाद अवकाश ग्रहण करने पर भी उसे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करायी जाती है। उन्मुक्तियां-अपने कार्यों के लिए यह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। अपने पद के कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके सम्बन्ध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब तक वह अपने पद पर आसीन है न्यायालय में उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही दो माह का नीटॉम देकर ही की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 के अन्तर्गत वह उपवन्धित किया गया है कि संविधान का उल्लंघन करने अथवा उसकी धाराओं के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कार्यमुक्त किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी मदन में प्रारम्भ की जा सकती है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इस प्रकार का संकल्प प्रस्तावित करने के पूर्व 14 दिन की स्पष्ट लिखित सूचना देना अनिवार्य है महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। जब एक सदन प्रस्ताव पारित कर देगा, तो उसे दूसरे सदन में विचारार्थ भेजा जाएगा। यह मदन महाभियोग के कारणों की जांच करेगा। इस स्तर पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वाह उपस्थित होकर अपनी स्थिति की स्पष्ट करे तथा जांच के दौरान अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करे यदि सदन दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को अपना स्थान रिक्त करना पड़गा। निर्वाचन-पजाति-राष्ट्रपति का निर्वाचन एक नाविक मण्डत द्वारा सम्पादित होता है, जिसमें संसद के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते है। प्रत्येक सदस्य की मत संख्या अग्र प्रकार से निर्धारित की जाएगी  
  
(अ) किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1.000 के गुणित इस भागफल में हो जी राज्य की जनसंख्या उस भाग के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से भाग देने से आए। जैसे राज्य की कुल जनसंख्या राज्य विधानसभा के निर्वाचित राज्यों की गड संख्या उस राज्य के प्रत्येक निर्वाचन के मतों की संख्या एक हजार के उक्त गुणितो को गिनने के बाद यदि शेष 500 से कम न हो, तो प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। (व) इस प्रकार जब समस्त राज्यों के मती की संख्या प्रान हो जाए, तो उन मव के योग को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या रो भाग देने पर जो संख्या प्रात होगी वह संसद के प्रत्येक सदस्य की मत-संख्या होगी। अपूर्ण संख्या, जो आये से अधिक है, एक मानी जाएगी और उससे कम छोड़ दी जाएगी। जैसे समस्त राज्यों की विधानसभाओं के कुल सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्याओं का योग संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या मतों की गणना के सम्बन्ध में उपर्युक्त सूत्र और प्रक्रिया को इस उद्देश्य से अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रभाव से जनसंख्या के आधार पर एकरूपता रहे और समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय संसद के बराबर प्रभाव प्राप्त हो। समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्याओं का योग भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अतः यह उचित ही है कि दोनों पक्षों को, जो समान रूप से भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते है, राष्ट्रपति के चुनाव में समान शक्ति प्राप्त हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा होता है। प्रत्याशियों के नाम एक मतदान-पत्र पर छाप दिए जाते है और नामों के आगे वरीयता मतदान के लिए स्थान छोड़ दिया जाता है। मतदाता चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के सामने अपनी पसन्द का ऊंक लिख सकता है। साधारणतः प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होता है, जितने प्रत्याशियों के नाम मतदान-पत्र पर छये होते है। मतदान के बाद मतों की गिनती प्रारम्भ होती है और सर्वप्रथम अवैध मत-पत्रों निकाल दिया जाता शेष वैध मत-पत्रों का मूल्य निकाला जाता है और उसमें दो का भाग देकर आने वाले भजनफल में एक जोड़कर 'चुनाव कोटा' (Election Quota) निकाला जाता है। जीतने वाले प्रत्याशी को कोटे के बराबर मत प्रात करने होते हैं। यदि किसी भी प्रत्याशी को प्रथम गणना में निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो सबसे कम प्राप्त होने वाले प्रत्याशी के मतों की द्वितीय वरीयता देखी जाती है। जिनको भी उन मतों में द्वितीय पसन्द दी गयी है उनके मतों में ये मत जोड़ दिए जाते हैं। यदि द्वितीय गणना में भी किसी को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो तीसरी और फिर चौथी गणना चलती है और इस प्रकार गणना का क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक किसी एक प्रत्याशी को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। पदि अन्त में दो प्रत्याशी रह जाएंगे और दोनों में से किसी को भी निश्चित कोटा प्राप्त न हो तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। भारत के नी राष्ट्रपतियों के चुनाव का निर्णय तो पहली गणना में ही हो गया था। केवल 1969 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय पसन्द के मतों की गणना हुई और तथ श्री वी. वी.  
  
गिरि (1969) को निश्चित कोटा प्राप्त हुआ। इस प्रकार के मतों के मूल्य के आधार पर मतों की गणना की जाती है और यदि प्रथम वरीयता (First Preference) मतों की गणना में किसी उम्मीदवार की जीत के लिए आवश्यक पचास प्रतिशत से अधिक मत नहीं मिल पाते. तो द्वितीय वरीयता (Second Preference) के मतो की गणना कर उसके आधार पर चुनाव का फैसला किया जाता है। अगस्त, 1969 में भारतीय राष्ट्रपति का जो पांचवां चुनाव हुआ. उसमें द्वितीय वरीयता के मतों की गणना आवश्यक हो गयी थी इस चुनाव में बी वी. वी. गिरि को 4,20,077 और श्री संजीव रेड्डी की 4,05,427 मत प्राप्त हुआ अगस्त, 1974 में श्री फखरुद्दीन अली अहमद निर्वाचक  
  
मण्डल में 80 प्रतिशत से अधिक मत प्राप कर भारत के पांचवें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 21 जुलाई, 197 का श्री नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से भारत का छठा राष्ट्रपति निर्विरोध नि्वाचित किया गया। 1982 में श्री जैलसिंह को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया 13 जुलाई, 1987 को हुए चुनाव में श्री आर. वेंकटरमण भारत के 8वें राष्ट्रपति चुन लिए गए। 13 जुलाई, 1992 को भारत के नौवें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ।16 जुलाई, 1992 को निर्यात अधिकारी ने डॉ. शंकरदयाल शर्मा को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भारी बहुमत से निर्वाचित घोषित किया उन्हें 67.78 प्रतिशत मत मिले जबकि उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी प्रो. जी. जी. स्वेल को 33.21 प्रतिशत प्राप्त हुए। डॉ. शर्मा ने प्रो, स्वेल को 3,29,379 मूल्य के मतों से हराया। 14 जुलाई, 1997 को हुए राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के बाद श्री के. आर. नारायणन को राष्ट्रसे पद पर निवाचित घोषित किया गया। उन्होंने अपने एकमात्र प्रतिभावान पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी. एल शेषन को मत मूल्य की दृष्टि से रिकार्ड अन्तर से पराजित किया। नारायणन को 4,231 और शेघन के 240 वोट मिले, जिनका मूल्य क्रमश: 9 लाख 56 हजार 2909497 प्रतिशत) और 50 हजार %। (5.03 प्रतिशत) है। 171 वोट (मतमूल्य 40,344) अवैध करार दिए गए। श्री के. आर. नारायणन गाष्ट्रगते पद सुशोभित करने वाले पहले दलित थे। 15 जुलाई, 2002 को सम्पन्न राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रक्षेपास्त्र वैज्ञानिक डॉ. ए. पी. जे. अदर कलाम ने वामपंथियों द्वारा समर्थित प्रत्याशी डॉ. लक्ष्मी सहगल को 459 के मुकाबले 4,152 मती से पराजित किया। कलाम को प्राप्त मतों का मूल्य 9,22,885 तया श्रीमती सहगल को प्राप्त मतों का मूल्य 45,569था कलाम को 89.58 प्रतिशत और सहगल को 10.42 प्रतिशत मत मिले। 19 जुलाई, 2007 को सम्पन्न 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव में यूपीए-वामदलों की साझा प्रत्याशी प्रतिम पाटिल ने एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार भैरोसिंह शेखावत को तीन लाख से भी अधिक मतों से पराजित किया। निर्वाचक मण्डल के कुल 1098882 मतों में से 9.69.422 वैध मत पड़े जिसमें 6,38,116 मन श्रीमती पाटिल को प्राप्त हुए, जबकि 3,31,306 मत श्री शेखावत को मिले। इस प्रकार, श्रीमती पाटित को जहां 65.82 प्रतिशत मत प्राप्त हुए वहीं उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत 33.18 प्रतिशत मत ही प्राप्त का सके।  
  
राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो भी मतभेद, संशय अथवा आपत्ति हो उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवेदन किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्यों? राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता और नियांचा मण्डल में संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के निम्नलिखित कारण है:  
  
() राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता तो लगभग 60 करोड़ मतदाताओ द्वारा निर्वाचन में भाग लेना कष्टदायक होता। (2) राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है या वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिमण्डल के हाथ में है. अतः इस शासन व्यवस्था में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निवाचित राष्ट्रपति की स्थिति बेमेल हो जाती। के. सन्यानम के शब्दों में  
  
"राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाना है तो फिर उसको प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करना व्यर्य का परिवम होगा।  
  
राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को भी इसलिए सम्मिलित किया जाता है, ताकि राष्ट्रपति संपूर्ण रषटर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सके। पं. नेहरू के शब्दों में,  
  
..राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में संघीय संसद के साथ राज्यों के विधानमण्डलों के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय चुनाव का रूप प्राप्त हो सके।"  
  
(4) प्रो. पायली के अनुसार, "संसद सदस्यों के साथ राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों को निर्वाचन मण्डन में सम्मिलित करने का उद्देश्य राजनीतिक सनुलन बनाने रखना के राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में यदि केवल संसद के दोनों सदन ही भाग से तो बहुसंख्यक दल अपने प्रत्याशी का सरलता से निर्वाचन करवा सकता है, किन्तु राज्य विधानसभाओं के इस निर्वाचन में भाग लेने से यह स्थिति बदल जाती है। सम्भव है संसद में जो  
  
सम्यक दल है उसे अधिकांश राज्यों में बहुमत प्राप्त न हआ हो। ऐसी परिस्थिति में संसद में बहुमत रखने ना दल राज्य की विधानसभाओं के समर्थन के बिना, अकेला ही राष्ट्रपति के पद पर अपना प्रत्याशी नि्वाचित नहीं कर सकता।"  
  
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने का उद्देश्य यह था कि राष्ट्र का प्रधान यामत मतों के स्पट बहुमत से निर्वाचित हो। इस पद्धति से छोटे-छोटे राजनीतिक दलों की शक्ति का भी चुनाव में व साबित हो जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव बहुमत दल की स्वेचछाचारिता से बचाया जा सकता है। पी के शब्दों में, "राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया है, राष्ट्र में सभी दल या गुट सम्मिलित है और राष्ट्रपति यावस्था से ऊपर है। इसलिए यह आवश्यक है कि उसका चुनाय भारी-से-मारी वहमत द्वारा हो। यदि माधारण बहुमत-प्रणाली इस निर्वाचन के लिए अपनायी जाती तो इस बात का कोई आश्वासन नहीं था, किनतु कर्मान निर्वाचन प्रणाली में यह निश्चित है कि राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण बहुमत प्राप्त करने पर हो सकता है।"  
  
संक्रमणीय  
  
निर्वाचन प्रणाली की आलोचना-यह एक जटिन दुर्बोध एवं पेचीदी पद्धति है। यदि किसी दुनाव में सरपंच-पद के प्रत्याशियों की संख्या दो से अधिक हो और मतदाता मत-पत्रों पर केवल एक ही उम्मीदवार को मत देते है और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो आनुपातिक पद्धति व्यर्थ हो जाएगी। वस्तु जहां एक ही व्यक्ति को चुना जाता है वहां आनुपातिक पद्धति अपनाना तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। डॉ. महादेव प्रसाद शर्मा के अनुसार, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल मत शब्दों का प्रयोग असंगत है। ये लिखते हैं कि "इस पद्धति में और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में बाढ़ लक्षणों की समानता अवश्य प्रतीत होती है क्योंकि दोनों में मतों का हतान्तरण होता है, किन्तु इन दोनों में उतना ही अन्तर है जितना खच्चर और घोड़े में।"  
  
राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य विचिशास्रियों के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान है जबकि राजनीतिशासियों का यह तर्क है कि केवल वह संवैधानिक अध्यक्ष है जो शक्ति का नहीं वल्कि प्रभाव का प्रयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, "संघ की कार्यपालिका-शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग यह स्वयं या अपने अधीनम अधिकारियों के द्वारा करेगा।" संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त है:  
  
(1) साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शान्तिकालीन शक्तियां, एवं (2) असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियां।  
  
1. साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शान्तिकालीन शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त होने वाली शान्तिकालीन शक्तियां निम्न है :  
  
(1) कार्यपालिका शक्तियां-भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से सम्पादित किए जाएगे। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उनके मान जाएंगे। अनुच्छेद 74 के अनुसार, "राष्ट्रपति को सहायता और सताह देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् हागा जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।" संविधान (चवालीसा संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 11 द्वारा अब संविधान में यह अन्त स्थापित किया गया है कि "पन्त राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार अप करेगा।" अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि यह राष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल के पय प्रशासन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना दे। राष्ट्रपति की कानुसार प्रधानमन्त्री द्वारा ऐसे मामला को, जिन पर केवल कि मन्त्री ने निर्णय लिया, मन्त्रिमण्डल के विचार के लिए रखा जा सकता है। जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उनके सम्बन्ध में कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकारों का राष्ट्रपति याग कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार की कार्यविधि के ारे में नियम बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। माष्टपनि मंत्रियों के मध्य कार्य विभाजन करते है।  
  
संविधान के अनुच्छेद 751) के अनुसार जन-निर्वाचन में विजयी राजनीतिक दल के नेता की निव वे प्रधानमन्त्री के पद पर करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय उन्हें बहुमत दल के नेताको प्रधानमंत्री मनोनीत करना होगा परन्तु यदि लोक सभा में किसी भी दत को स्पट बहुमत प्राप्त नहीं कर तो इस स्थिति का लाभ उठाकर वह अपनी पसन्द के व्यक्ति को प्रधानमन्त्री बना सकता है। मन्त्री राषयति । प्रसादपर्यन अपने पद पर रहे उसी के द्वारा यात्रियों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिल जाती है।  
  
समस्त महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह प्रधानमंत्री और मन्त्रिपरिषद् के अतिरिक महान्यायाधिवक्ता भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है। संविधान के जनक 124 तबा 217 के अन्तर्गत वह सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निनि भी करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। वह संघ लोक सवा आदीन तथा अन्तर्राज्यीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह केन्दप्रममित क्षेत्र का शासन चलाने के लिए मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है। वह वित्त आयोग, भाषा आयोग नथा निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह विदेशों में भारत के राजदूतों तथा कूटनीतिक प्रतिमिधिकं की नियुक्ति करता है। वह अनुच्छेद 338 (1) के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। वह अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों की दृश को जांचने के लिए आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को संघ के अधिकारियों की पदच्युति का भी अधिकार है। यह मन्त्रियों को भारत के महाधिवक्ता को राज्य के राज्यपालों को, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशाको तय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को संविधान में उल्िखित प्रक्रिया के अनुसार अपदम्ब कर सकता है। कतिपय अधिकारियों के प्रशासकीय कार्य और निर्णय तभी लागू हो सकते है जव राष्ट्रपति उन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें। संदोप में, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तिया विस्तृत है, संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यह परम्परा कायम हो गयी है कि वह उनका प्रयोग प्रधानमन्त्री की सलाह से ही करेगा। (2) विधायी शक्तियां राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में और राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति को भारतीय व्यवस्थापन प्रणाली में अनेक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य करने होते है। संविधान के अनुच्छेद 5813(2) के अन्तर्गत वह संसद को आमन्बित एवं स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने के अधिकार का प्रयोग करता है। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के सदनों में मतभे हो. तो उसे दूर करने के लिए वह दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमन्त्रित कर सकता है। प्रत्येक अधिवेशन के आरम्भ में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। वह राज्य सभा एवं लोकसभा के स्थानापन्न अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में बारह सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। व लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विषयक कानून नहीं बन सकता है, इसलिए प्रत्येक विधेयक र उसके हस्ताक्षर आयश्यक है। धन विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से इन्कार नहीं कर सकता. किन्दु साधारण विधेयकों को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। यदि संसद उसको बहुमत से दुधारा पास कर दे तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से इन्कार नहीं करेगा। इस प्रकार राष्ट्रपत संवैधानिक अध्यक्ष का रूप दे देना चाहते हैं। हमारी यह अपेक्षा है कि वह संसद की सलाह तथा निर्देश के अनुसार कार्य करेगा।" वस्तुतः उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल कोगा,  
  
जो संसद के प्रति उत्तरदावी भी होगा।  
  
2. असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियां प्रत्येक राज्य में संकटकात में उसके अस्तित्व को बनाये रखने के लिए किसी ऐसे शक्तिसम्पन्न अधिकारी का होना आवश्यक है, जिसको आपातकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए विशिष्ट सत्ता प्राप्त मे। संघीय देश में यह सता राष्ट्रीय सरकार में निहित की जाती है। वस्तुतः संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रमुख उत्तरदायित्व राष्ट्रीय कार्यपालिका का ही होता है। राष्ट्रीय कार्यपालिका में संकटकालीन परिस्थिति के दौरान अत्यधिक शक्तियां निहित कर दी जाती है, जिससे यह भी सम्भव है कि कार्यपालिका निरंकुश रूप धारण करने का प्रयल करे। संविधान में इस सन्दर्भ में प्रायः कुछ 'विशेष र्षक प्रावधान' समावेशित किए जाते हैं जो कार्यपालिका के निरंकुश बनने की प्रवृत्ति पर अवरोध के रूप में कार्य करते ि संविधान के ये आपातकालीन प्रावधान या राष्ट्रपति की ये संकटकालीन शक्तियां अभी हाल ही के वपों में बहुत अधिक संशोधन परिवर्तन के विषय रहे है। 1975 में लागू आपातकाल में 42वें संवैधानिक संशोधन (1976) के आधार पर संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया। लेकिन 1975 में घोषित आपातकालीन प्रावधानों का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, उससे इन प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक या इसके अतिरिक्त 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी संविधान के आपातकालीन प्रावधानों में ऐसे परिवर्तन करने के लिए वचनबद्ध थी, जिससे वर्तमान या भविष्य के शासक वर्ग द्वारा इन प्रावधानों का दुरुपयोग न किया जा सके। अतः 44वें संवैधानिक संशोषन (अप्रैल, 1979) द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्थाएं की गयी और इस संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों या संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार है:  
  
(I) पुत्र, भाग्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से सम्बन्धित संकटकालीन व्यवस्था मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था यी कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो कि युद्ध, बासरी आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शान्ति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है तो यथार्थ रूप में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता था संसद की स्वीकृति के बिना भी यह दो माह तक लागू रहती और संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन जब तक उस लागू रखना चाहता, लागू रख सकता था। 44थे संवैधानिक शासन द्वारा निम्न व्यवस्था की गयी है, जिससे शासक वर्ग के द्वारा इन संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके प्रथम, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल तभी घोषित किया जा सकेगा, जबकि मन्त्रिमण्डल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। द्वितीय, इस प्रकार का आपातकाल अव युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशंख विद्रोह होने या इस प्रकार की आशंका होने पर ही पारित किया जा सकेगा। केवल आन्तरिक जशान्ति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। तृतीय, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के एक माह के अन्दर संसद के विशेष बहुमत (पृथक्-पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई वसुमत) मे इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। कुर्ष लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भारी कोने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाल की जा सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु खोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलायी जाएगी। 44व संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किए गए 38वें संवैधानिक संशोधन को भी रद्द कर दिया गया है. जिसमें व्यवस्था की गयी थी कि राष्ट्रपति द्वारा 352वें अनुच्छेद के अन्तर्गत की गयी संकटकालीन पीपणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इस प्रकार अब राष्ट्रपति द्वारा लागू की गयी आपातकालीन  
  
न्याय-योग्य' (Justiciable) बना दिया गया है अर्थात अव आपातकालीन घोषणा को सम्बन्धित यापालय में चुनौती दी जा सकती है।  
  
मत संविधान में व्यवस्था थी कि अनुच्छेद 352 के अधीन संकटकाल की घोषणा पूरे देश के लिए ही सकती है. देश के केवल किसी एक या कुछ भागों के लिए नहीं। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पह की गयी कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन सकट की घोषणा पूरे देश के लिए या देश के क या कुछ भागो के लिए की जा सकती है। 42व संविधानिक संशोधन की इस व्यवस्था को बनाए रखा गया है।  
  
पोषणा के संवैधानिक प्रभाव-उपर्युक्त घोषणा के संवैधानिक प्रभाव पे होंगे: (1) इस योपणा के समय में 19वें अनुच्छेद दवाग नागरिकों को प्रदत्त 6 स्वतन्त्रताएं (44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सात मताओं में छठी स्वतन्त्रता रम्पत्ति की स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया गया है) म्यगित हो जाएगी और के द्वारा इन स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या म्यगित करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा। संवैधानिक संशोधन द्वारा व्यवस्था की गयी है कि यदि आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण र किया गया है तथ तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान की गयी ग्यतयताओं को स्थगित या समात किया जा मना है, लेकिन यदि आपात स्थिति सशस् विद्रोह के कारण लागू की गयी है, तो अनुच्छेद 19 की व्यवस्था ओं को स्थगित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं के विरुद्ध जो कानून निर्मित किए जाएंगे उन জাননों के साथ यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि वह कानून लागू की गयी आपात स्थिति की घोषणा के काण वनाए गए है। आपात स्थिति की समामि के पश्चात् ऐसे कानून तत्कात ही समान हो जाएंगे। ) मूत संविधान में व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित कर सकता है अर्थात् संकटकाल में नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। 44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर व्यवस्था की गयी है कि आपातकाल में भी जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। (ii) संसद को सम्पूर्ण भारत जयवा उसके किसी भी क्षेत्र के लिए सभी विषया अर्थात राज्य सूची में दिए गए सभी विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्रात हो जाएगी और यदि राज्य में कोई कानून संघीय कानून के विरोधी हों, तो वे विरोध की सीमा तक मान्य होंगे। राज्य सूची के सम्बन्ध में संघ द्वारा निर्मित ये कानून उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद प्रभावी नहीं रहेंगे। (iv) संघ की कार्यपालिका को वह शक्ति मिल जाएगी कि वह राज्यों की कार्यपालिकाओं की निर्देश दे सके कि ये अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें। (v) राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संच और राज्यों के बीच आय वितरण सम्बन्धी सभी या कोई भी उपबंध चालू वित्तीय वर्ष में उसके निर्देशानुसार संशोधित रहंग, परन्तु ऐसा आदेश यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। (vi) संविधान के 43वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि "जब अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत भारत की भूमि के किसी विशेष भाग में आपात स्थिति की घोषणा की जाएगी, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद की कानून बनाने की शक्ति केवल उस राज्य में ही कागू नहीं होगी, जिस राज्य के किसी भाग में आपात स्थिति की घोषणा तागू की गयी है: अपितु संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा समद की कानून बनाने की शक्ति अन्य राज्यों में भी उस समय तक लागू की जा सकती है जिस सीमा तफ भारत या उसकी भूमि के किसी भाग की सुरक्षा के लिए संकट हो। व्यवहार-अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत जव नक तीन बार संकटकात की घोषणा की गयी है-1962 में भारत पर चीन के और 1971 में भारत और पाकिस्तान के आक्रमण की स्थिति में तया जून 1975 में। 26 अक्टूबर, 1962 को नफा तथा लद्दाख क्षेत्र में चीन के आक्रमण के फलस्वरूप राष्ट्रपति ने संकटकाल की सपना की। राष्ट्रपति ने अपनी उदघोषणा में का कि "बाहरी आक्रमण के कारण संकटकाल की स्थिति विद्यमान 18 नवम्बर, 1962 को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से सम्बन्धित अनुच्छेद 21 और 22 को स्थगित कर दिया गया और इसी दिन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेने के अधिकार को भी स्थगित कर दिया गया और 14 नवम्बर 1962 को अनुच्छेद 14 भी स्थगित कर दिया गया। 26 अक्टूबर, 1962 हा भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश भी जारी किया गया। भारत प्रतिरक्षा नियम, नागरिक प्रतिरक्षा सेवा नियम,  
  
भारत प्रतिरक्षा (सम्पत्ति अर्जन एवं अधिकरण) नियम, आदि भी इसी अधिनियम के आधार पर दनाए ग। 1962 में जारी की गयी यह संकटकालीन घोषणा 1968 तक जारी रही। इसी प्रकार दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 3522 अन्तर्गत दूसरी बार संकट की घोषणा की गयी, जो 27 मार्च, 1977 तक जारी रही। आपातकालीन घोषणा (26 जून, 1975) 1971 में घोषित आपातकाल तो लागू था ही, इसके साथ ही जून 1975 में अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत ही एक नवीन आपातकाल की घोषणा की गयी 1971 में आपातकाल बाहरी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के कारण घोषित किया गया था, 1975 का आपातकाल आन्तरिक अव्यवस्था उत्पन्न होने की आशंका के नाम पर पारित किया गया। 1975 के इस आपातकाल में आपातकालीन प्रावधानों को जितनी अधिक सीमा तक लाए किया गया, उसके पूर्व ये प्रावधान कभी भी इतनी सीमा तक लागू नहीं किए गए थे। आपातकालीन प्रावधान की घोषणा के दूसरे ही दिन राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 359 1) के अन्तर्गत आपात स्थिति के बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के न्यायालयों में अपील करने के अधिकार को निलम्बित कर दिया। यह आ आपात स्थिति की अवधि तक जारी रही। संविधान की उक्त धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अनुच्छेद 14, 21 और 22 के अन्तर्गत न्यायालयों में अपील करने के अधिकार को आपात स्थिति की अवधि तक स्थगित किया जाता है। यह आशा जम्मू-कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत पर लागू रही। 1962 और 1971 में घोषित आपातकाल तो औचित्यपूर्ण धा, लेकिन 1975 में घोषित आपातकाल हे सम्बन्ध में अब यह पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है कि इसका एकमात्र उद्देश्य तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा अपने आपको सत्ता में बनाए रखना ही या। मार्च, 1977 के लोकसभा चुनाव 'आपात की ोषणा' के प्रश्न पर केन्द्रित थे और जनता ने म्यषएट मप से आपात की घोषणा को अस्वीकार कर दिया। अतः जून 1975 में पोपित आपातकाल 21 मार्च, 1977 को समाप्त कर दिया गया और 1971 से जारी आपातकाल 27 मार्च, 1977 को नयी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। 31 मार्च, 1977 को गृहमन्त्री द्वारा संसद में यह रहस्योद्घाटन किया गया कि जून 1975 में आपातकालीन स्थिति मन्त्रिमण्डल के अनुमोदन के पूर्व ही सांग की गयी थी।  
  
(2) राज्यों में संवैधानिक तब के विफल होने पर (Emergency Arising out of Failure of the Constitutional Machinery in a State) संविधान ने संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक अशान्ति से रक्षा करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंध यों के अनुसार चली जाती है। अनुच्छेद 356 के अनुसार, अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी है कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह संकटकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसा संकट घोषित करने की विधि वह है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। मूल संविधान के अनुसार संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लाग किया जा सकता था, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस अवधि को एक वर्ष कर दिया गया था, 41 संवैधानिक संशोधन द्वारा अवधि को पुनः 6 माह कर दिया गया। 44वं संवैधानिक संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि तीन वर्ष की, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के एक की आपधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा भी पारित किया जा सकेगा, जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 3521 अन्तर्गत मटका लाण हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे नहीं है। राज्य में चुनाव करदाना सम्म  
  
पोषण के संवैधानिक प्रभाव अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की गयी घोषणा के निम्नलिखित संवैधानिक परिणाम होगे  
  
1) राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि किसी राज्य की विधाविका शक्ति का प्रयोग केन्द्रीय समः कोगी। मसद ऐसे व्यवस्थापन की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है अथवा उसको यह अधिकार दे सक है कि वह शक्ति किसी और अधिकारी को प्रदान कर दे। (2) राष्ट्रपति किसी भी राज्याधिकारी की कार्यकार  
  
कियों को हस्तगत कर सकता है। (3) राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की पति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में से सकता है। (4) जब लोकसभा की बैटके नहीं हो रही म समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे गकता है। (5) सकट की अवधि गणपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता पर रोक नगा सकता है और उसके द्वारा जीवन शारीरिक स्वाधीनता के अतिरिक्त अन्य अधिकारों के सम्बन्ध में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का भी अन्त किया जा सकता है।  
  
सपर-संविधान के इन उपबंधों का अब तक लगभग 116 से अधिक बार प्रयोग क्रया जा ुका है। टी बार 195। में पंजाब में भागेव मन्त्रिमण्डल के पतन के कारण ऐगी उदघोषणा की गयी थी। उसके 1052 में पेप्सू राज्य, 1954 में आन्ध, 1956 में ट्रावनकोर कोचीन, 1959 में केरस, 1961 में उड़ीसा, में पंजाब, 31 मार्च, 1967 को राजस्थान और इसके बाद पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य देश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात राज्य में संकटकालीन घोषणा लागू की गयी। उपर्यंक्त घोधणाए धारणतया इन राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही की गयी थी और राष्ट्रपति द्वारा की गयी इन पोषणाओं का आधार प्रमुख रूप से राज्यपाल का प्रतिवेदन ही था। इनमें से 13 जुलाई, 1959 को केरल त्य में संकटकाल की जो घोषणा की गयी और 31 मार्च, 1967 को राजस्थान में राष्ट्रपति का जो शासन पित किया गया, वह विशेष आलोचना का विषय रहा है। 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के बाद उत्पा राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में अनेक राज्यों में इस संकटकालीन स्थिति का उपयोग किया गया। अनुच्छेद 356 में निहित शक्तियों का प्रयोग केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 356 के आधार पर 1967 में गोआ में, 1967 में मणिपुर में और 1967 तथा 1974 में पाण्डिचेरी में राष्ट्रपति शासन कागू किया गया। 1973 में मुल्की नियमी सम्बन्धी विवाद को लेकर पृथ्वी आंध्र और तेलंगाना की स्थापना का आन्दोलन चला और शान्ति तथा व्यवस्था इस सीमा तक भंग हो गय कि आन्ध्र में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करनी पड़ी। इसके बाद मार्च 1973 में उड़ीसा में और पी. ए. सी. विद्रोह के बाद जून 1973 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गयी उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की भारतीय राजनीति के अनेक पक्षों द्वारा कटु आलोचना की गयी। आलोचना का आधार यह था कि उडीसा में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के पूर्व विरोधी दल के नेता वीजू पटनायक को सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए या और उत्तर प्रदेश में यह घोषणा संवैधानिक प्रश्नों के स्थान पर दलीय हितों की दृष्टि से की गयी थी। इसी प्रकार मार्च 1975 में गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन का एक वर्ष पूरा होने के बाद मूखे के नाम पर जय राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह के लिए और बढ़ायी गयी, तो केन्द्रीय शासन के इस कार्य की कटु आलोचना की गयी और गुजरात में इसके विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया। 1974 में पाण्डिचेरी और 1975 में नगालड में भी संकटकालीन घोषणा कर राष्ट्रपति शासन स्थापित किया गया 1973 में उड़ीसा और उत्तर  
  
प्रदेश में जिस प्रकार से राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गयी और मार्च 1975 में गुजरात में जिस प्रकार से इस अवधि को बढ़ाया गया, उससे यह आवश्यक प्रतीत होने लगा कि इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित संवैचानिक पाचराओं को अपनाया जाना चाहिए जिससे कि अनुच्छेद 356 के प्रावधानों का दुरुपयोग न किया जा सके। 1975 में कुछ समय के लिए तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 1976 में तमिलनाडु और गुजरात में आपातकाल की घोषणा कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तमिलनाडु में 31 जनवरी 1976 को राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ ही विधानसभा भंग कर दी गयी। गुजरात में 12 मार्च, 1976 को जनता मोर्चे की सरकार के त्यागपत्र के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। गुजरात में विधान सभा को केवल स्थगित किया गया, भंग नहीं। 1977 में कुछ महीनों के लिए जम्मू-कश्मीर और मिजोरम में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।1977 में केंद्र की तत्कालीन जनता सरकार द्वारा 9 राज्यों की विधानसभाए मंग कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इस स्थिति की पुनरावृति 1980 में हुई जबकि केन्द्र की इन्दिरा कांग्रेस सरकार द्वारा 9 राज्यों की विधानसभाए भंग कर इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। पंजाब राज्य में कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में असन्तोषजनक स्थिति के कारण अक्टूबर 1983 में वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, मार्च 1984 तथा पुनः अगस्त 1984 में संविधान में संशोधन कर पंजाब म राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ायी गई और सितम्बर 1985 तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू रहा।  
  
|| मई, 1987 को केना ने एक अधिसूचना जारी कर पंजाब में संविधान के अनुच्छेद 356 के राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। गृहमन्त्री युटाह के अनुसार पंजाब में कानून और व्यवस्था की हुई स्थिति से निपटने में बरनाला सरकार की असफलता और अन्य कोई किकय न होने के कारण को यहां राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की आधि बार-बार बढ़ायी गयी। 25 फरवरी, 1992 तक राष्ट्रपति शासन र। यह अब तक के इतिहास में क्रिी ग में राष्ट्रपति की सबसे लम्बी अवधिधी अगस्त 1988 में नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 19) म कर्नाटक और असम में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 1991 में गोजा, तमिलनाडु, पाण्डिवरी तथा मेघालय राष्ट्रपति शासन की चपेट में आ गए। 1992 में मणिपुर और नगालैण्ड में राष्ट्रपति शासन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में 18 अक्टूबर 1005 जारी की गई उद्घोषणा 17 अक्टूबर, 1996 को निरस्त कर दी गई। गन्य में उसी दिन राष्ट्रपति का पुनः लागू कर दिया गया और राज्य विधानसभा को निम स्थित अवम्या में रखा गया। अनुच्छेद 356 के 17 अक्टूबर, 1996 को जारी की गई उद्घोषणा 21 मार्च, 1997 को निरस्त कर दी मई तथा सुखी भावादी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार ने कार्यभार सम्भाला। गुजरात राज्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद 3567 अन्तर्गत 19 सितम्बर, 1996 को जारी की गई उचोषणा 23 अक्टूबर, 1996 को निरस्त कर दी गई और श्री शंकर सिंह बघेल के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार ने शासन सन्भाता। 21 अक्टूबर, 1997 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के बावजूद राज्यपाल रोमया भण्डारी की रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनुच्छेद 356 के तहत विधानसभा भंग करके गद में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की। राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने मन्त्रिमण्डल की अनुशंसा को लिटा कर एक बार फिर अपने निर्णय पर विचार करने को कहा। इसी प्रकार बिहार में राबड़ी सरकार की ब्लास्ट कर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यहां राष्ट्रपति शासन की केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की सिफारिश को राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने 25 सितम्बर, 1998 को वापस लौटा दिया। देश के दो राज्य–गोआ एवं बिहार फरवरी, 1999 में राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गए। बिहार में जहां कानून एवं व्यवस्था की दुर्गति के कारण राबड़ी सरकार को भंग करके अनुच्छेद 356 को लागू किय गया वहीं गोआ में राष्ट्रपति शासन लागू करने का कारण स्थिर सरकार बनने की सम्भावना न होना बतया गया। गोआ में राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ-साथ विधानसभा को भंग कर दिया गया वहीं बिहार में विधानसभा को निलंबित रखा गया। भारत के संवैधानिक इतिहास में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के तहत राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपनी 11 फरवरी, 1999 की अधिसूचना को 8 मार्च, 1999 को वापस से लिया। राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिसूचना का कांग्रेस द्वारा विरोध किए जाने के कारण राज्यसभा में सरकार इसका अनुमोदन करा पाने की स्थिति में नही थी। इससे वाजपेयी सरकार की वही बदनामी हुई और 9 मार्च, 1999 को राबड़ी देवी को पुनः मुख्यमन्त्री पद पर बहाल करना पड़ा। 2 जून.  
  
2001 से 7 मार्च, 2002 तक मणिपुर राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत रहा। फरवरी 2002 के चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी दल या गठजोड़ राज्य में टिकाऊ सरकार देने की स्थिति में न होने के कारण उतर प्रदेश के राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री ने राज्य में राष्ट्रपति शासन तगाने और नई विधानसभा को निलचित रखने की सिफारिश की। तदनुसार 8 मार्च, 2002 का राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, किन तमाम जोड़-तोड़ के बाद सुखी मायावती ने 3 मई, 2002 को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की तीसरी बार बागडोर संभाली।  
  
गोवा में एक माह से भी अधिक समय तक चले शर्मनाक राजनीतिक घटनाक्रम का पटाक्षेप 4 मार्च 2005 को राज्य राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ हुआ। जोड़तोड़ की राजनीति करके मनोहर पारिकर की भाजपा सरकार को अपदस्य कर सत्ता में आई प्रताप सिंह राणे की काग्रेगी सरकार सत्ता में आने के 30 दिन बाद सदन में प्रोटेम स्पीकर के निर्णायक मत द्वारा विश्वास मत हासिल करने में यद्यपि सफत हो गई.  
  
तथापि जिन हथकण्डों रो यह विश्वास मत अधित किया गया उनसे डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार भी खुश नहीं थी, फलम् रूप विधानसभा को निलमियत रखते हुए राज्य में गष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय किया गया। बिहार में विधानसभा जावो के बाद 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए  
  
आवश्यक122 का  
  
122 आकडा किसी भी दন अथवा रटवन्धन के पास नहीं था अतः मार्च, 2005 को राज्यपाल कोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन सा कर दिया गया नवम्बर, 2005 को नीतीश कुमार के तृते जपमाा गनन की सरकार नने के विशामन की घोषणा वापस भी गई गोया में एक मत ।। ी मनाक क घटनाक्रम का पटाप 4 मार्च, 2005 को राज्य में राष्ट्रपति शासन े के ाव हआ। में निवर्तमान मुखममन्त्री एच.डी. कुमार स्वामी व उसरकी जनतन() 20 माह पूर्व ऊनाटक में निवर्तमानमा के शाप किए गए राजनीतिक समझौते से पीछे हटने से रजा राभेवर की पर 10 अक्टूबर, 2007 से राष्ट्रपति शासन मागू किया गया और aिना की नि रया। किर नवम्बर, 2007 को भाजपा के मुख्यमन्त्री पेदपुरषा में विधानसभा में ना वहमत मात करने ही पद से इस्तीफा दे दिया और 20 नवम्बर, 2007 को गटपति शासन आन करना पढ़ा। पेहपुरमा प् से दक्षिण भारत के किसी राज्य में बहती भाजपा सरकार सात दिन के अन्दर । ने पहले तो भाजपा को धिना शते मान देने की घोषणा की, कित चाद में 12 काए ना परत्र भाजपा के सम पेश किया था जिस पर भाजपा के हस्ताक्षर कर देने से मना े के करण ने भाजपा को समर्थन देने से इंकार कर दिया। 3 जनवरी, 2008 को नगानीर मे राष्ट्रपति आागन कने का फैसता वहां लगातार अस्थिर होती जा रही राजनीतिक परिम्थितियो के परिप्रेय में किया गया

मार्च, 2009 में कई दिन तक चले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद 19 मार्च, 2009 को मेघालय में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया सरकारिया आयोग ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए पाया कि मन्त्रिमण्डल को विधानसभा में बहुमत प्रान हाने के बावजूद 3 मामलों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया: ऐसे 15 मामलों में, जिनमें मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया था. अन्य दावेदारों को वैकल्पिक सरकार बनने का अवसर नहीं दिया गया था और न ही उनी विधानसभा में अपने बहुमत समर्थन का परीक्षण करने का अवसर दिया गया था। आयोग ने केवन 26 मामलों में ही राष्ट्रपति शासन लागू करने को अपरिहार्य माना है। अब तक अनुच्छेद 356 जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है.का बहुत अधिक (121 से भी अधिक वार) प्रयोग किया गया है। प्रो. एस. आर. माहेश्वरी के शब्दों में, "यह अनुच्छंद (अनुकंद 356) देश की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया का एक अन्तरंग भाग, सम्भवतण इसका मानस बन गया है।" सरकारिया आयोग ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए पाया कि मन्त्रिमण्डत को विधानसभा में बहुमत प्रशन होने के बावजूद 13 मामलों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया: ऐसे 15 मामलों में जिनमे मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया था, अन्य दावेदारों को वैकल्पिक सरकार बनाने का अवसर नही दिया गया था और न ही उन्हें विधानसभा में बहुमत समर्थन का परीक्षण देने का अवसर दिया गया। आयोग ने केव 26 माननी में ही राष्ट्रपति शासन लागू करने को अपरिहार्य माना है। (3) वित्तीय संकट (Financial Emergency)-अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि गट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी है, जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्य या साख को खतर है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी यही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए निर्धारित है। वित्तीय संकट की पोषणा के प्रभाव-इस घोषणा के निम्नलिखित संवैधानिक प्रभाव होगे : (I) संकट की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह वित्तीय दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। (2) संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के येतनो में, जिसमें उच्चतम नथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होंगे, आवश्यक कमी की जा सकती है। (3) राष्ट्रपति राज्य सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाए।   
  
(4) संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन सम्बन्धी आवश्यक आदेश दे सकती है। (5) केन्द्र तथा राज्यों में धन सम्बन्धी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है। (6) संक अवधि में, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता पर रोक लगा सकता है और द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार का भी अंत किया जा सकता है। देश में वित्तीय संकट लाग करने का अवसर अभी तक नहीं आया है। वित्तीय संकट के प्रावधान के सम्बन्ध में कुछ लोगों का कथन है कि वित्त एक बहुत अधिक नाक मामला है और इस सम्बन्ध में सकंट की कोई घोषणा विश्वास के वातावरण को जन्म देने के बजाय भयक वातावरण खड़ा कर आर्थिक अस्थायित्व को बढ़ा देगी और साख को भारी आघात पहुंचाएगी। आपातकालीन शक्तियों का मूल्यांकन भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबन्ध संविधान निर्माण के समय और उसके बाद कटु आलोचना के विषय रहे हैं। संविधान सभा के सदस्यों और संविधानविदों दोनों के ही द्वारा इस सम्बन्ध में आशंकाएं व्यक्त की गयी हैं। जिस दिन ये उपबन्ध पारित हुए, उस दिन श्री हरिविष्णु कामच ने संविधान सभा में कहा था, "या शर्मनाक दिन है। ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे।" इसी प्रकार के. टी. शाह ने संविधान सभा में कहा था, "मे उपवन्ध प्रतिक्रियात्मक एक पश्चाद्गामी अध्याय का शानदार उपसंहार तथा सर्वोच्च गौरव है उन उपवयों पर दो विचारधाराओं का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखायी पड़ता है केन्द्र के हाथों में इकाइयो के विरुद्ध विशेष सत्ता प्रदान करना तथा जनता के विरुद्ध शासन को शक्तिशाली बनाना। इस अध्याय के उपबन्धों का भली-भांति अध्ययन करने के बाद तथा इसके प्रत्येक अनुच्छेद में दी गयी सत्ता की समीक्षा करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में लोकतन्त्र तथा स्वाधीनता का नाम ही वाकी बचेगा।"  
  
संविधान के इन उपबंधों की प्रमुख रूप से निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है :  
  
(1) संघात्मक रूप का अन्त (End of Federalism) संविधान द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन-व्यवस्था की स्थापना की गयी है. लेकिन संविधान के ये संकटकालीन उपबन्ध संघात्मक शासन-व्यवस्था का आधारभूत स्वरूप ही समाप्त कर देते हैं। संवैधानिक तन्त्र की विफलता के समय राज्य सरकार लगभग समाप्त ही हो जाती है और उनकी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अंशतः या पूर्णतपा नितम्बित हो जाती है। इसी प्रकार युद्धकालीन या वित्तीय संकट में राज्य सरकारों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण अत्यधिक बढ़ जाता है। परिणाम राज्य सरकार का स्वरूप एक ऐसे अभिक्रिया का सा हो जाता है, जिसका कार्य संघीय सरकार के आदेशों का पालन करना भर हो। इन संकटकालीन उपबन्धों के कारण ही श्री टी. टी. कृष्णामाचारी ने संविधान सभा में कहा था कि “भारतीय संविधान कार्यकाल में संघात्मक तथा पुद्ध एवं संकटकालीन परिस्थितियों में एकात्मक रूप धारण कर लेता है।"  
  
(2) राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है (President will become a Dictator)-संविधान सभा के अनेक सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के इन अधिकारों की तुलना जर्मनी के वीमर गणतन्त्र के संविधान (1919) की धारा 48 से की गयी है, जिसके माध्यम से हिटलर एक तानाशाह बनने में सफल हुआ था। आलोचकों का कथन है कि संविधान के अनुसार संकट की स्थिति का एकमात्र निर्णायक राष्ट्रपति ही है और राष्ट्रपति के द्वारा संसद से पूछे बिना भी संकटकालीन घोषणा एक माह के लिए लागू की जा सकती है। एक माह की इस अवधि में वह मन्त्रिमण्डल को पदच्युत चा लोकसभा को भंग कर लगभग 6 या 7 माह तक मनमाना शासन कर ही सकता है। अतः आलोचकों का विचार है कि भारत में एक महत्वाकांक्षी तथा सत्ता-लेभी राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर एक अधिनायक बन सकता है। (3) शक्तियों का राजनीतिक तव्यों की प्राप्ति हेतु दुरुपयोग सम्भव (The Powers can be used for Political Ends) अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यों में संवैधानिक संघ की विफलता की स्थिति में संकटकालीन पपा का जो प्रावधान किया गया है उसके सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही भय प्रकट किया गया है कि केन्द्र का शासक दल राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यों में विरोधी दलो की सरकारों का दमन कर सकता है। 1959 में ल के साम्यवादी मन्त्रिमण्डल को जिस प्रकार से पदच्युत किया गया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार का भव निराधार नहीं है।